

भारत सरकार (Government of India)
रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

परिपत्र

विषय : कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए निवारक उपाय

कोरोना वायरस (कोविड-19) को फैलने से रोकने के लिए निवारक उपायों के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 19-03-2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/9/2014-एस्ट. (ए-III) की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

2 सभी शाखाओं/निदेशालयों के संबंधित विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त अनुदेशों को अक्षरशः कार्यान्वित करें। अनुदेशों को कार्यान्वित करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इससे कार्यालय के काम-काज में कोई व्यवधान अथवा प्रभाव न पड़े।

3 इन अनुदेशों का अनुपालन करते समय, निदेशालयों द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बारे में बोर्ड के संबंधित सदस्यों को भी सूचित करते रहें।

4 इस मामले की कार्रवाई के बारे में अधोहस्ताक्षरी को नियमित आधार पर सूचित किया जाए।

संलग्न : यथोक्त

सं. 2020/जी(एक)3/मेंट/मिस-कोविड-19

नई दिल्ली, दिनांक : 19/03/2020



(मनोज कुमार)

निदेशक (जीए)

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि :

रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री के निजी सचिव

बोर्ड के सभी सदस्य एवं अन्य।